


01.12.17

वकील शायल उपा असायल नं० 1 की ओर
से एउ० राजेश कर्मा ने बकालनामा व जवाब पेश
किया। दावा पत्रावली द्वारा निर्णित हो चुकी है। अतः
नए पत्रावली - चलाने का औचित्य नहीं है। अर्थात्
पत्र नए दावा में परिचित निर्णय की रौशनी में
स्वारिज किया जाग है।

पत्रावली पत्रावली फेंसल शुमार होकर
नंबा से कम हो एवं बाद तकमील शंखन
मूल वाद रहे।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी